

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

आर०ई०आर केश सं०- 249/16-17
राजेन्द्र मिर्धा वगै० बनाम् जय प्रकाश मिश्रा वगै०
:-आदेश:-

15.03.2024

प्रस्तुत वाद आवेदक (1)राजेन्द्र मिर्धा पे०-स्व० वासुदेव मिर्धा, (2)जामो देवी, पति-हरिचरण मिर्धा (3)मुन्नी देवी, पति-संघा मिर्धा (4)मंगरा मिर्धा, पे०-सुना मिर्धा सभी सा०-छोटा श्रीपुर, थाना-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा-छोटा श्रीपुर नं०- 45, जमाबंदी नं०-10, दाग नं०-200, रकवा-01-10-00 धूर भूमि से विपक्षी (1)जय प्रकाश मिश्रा, पे०-स्व० बलदेव मिश्रा (2)जीतन मिश्रा, पे०-प्रकाश मिश्रा सभी सा०-श्रीपुरबाजार, थाना-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

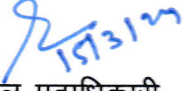
उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि मौजा-श्रीपुर नं०- 45 जमाबंदी नं०-10, दाग नं०-200, रकवा-02-16-17 धूर भूमि गतसर्वे में फकीर मिर्धा वल्द चीमडु मिर्धा के नाम से दर्ज है। फकीर मिर्धा के दो पुत्र (1)कैलु मिर्धा (2)महादेव मिर्धा है जिसमें महादेव मिर्धा के पुत्र/पुत्री राजेन्द्र मिर्धा के पोता के वंसज से आते हैं (1)असरब मिर्धा(मृत) कौशल्य देवी(मृत) (2)राजेन्द्र मिर्धा(पुत्र) (3)गांगो देवी (4)मुन्नी देवी चारो आवेदिका है। विपक्षी द्वारा जबरन प्रासंगिक भूमि का कब्जा किया गया है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का पर्चा, रशीद आदि की छायाप्रति समर्पित करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया।

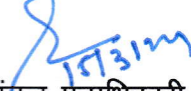
विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत का प्रथमपक्षगण नाती हैं जो वर्तमान में श्रीपुर बाजार में नहीं रहते हैं। प्रासंगिक भूमि शपथ-पत्र के माध्यम से असरु मिर्धा से वर्ष 1993 में प्राप्त हुआ है उसी समय से सपरिवार मकान बनाकर वसोवास करते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व विपक्षी के ससुर को कुर्फा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। प्रासंगिक भूमि पर विपक्षी का 50वर्षों से दखल कब्जा है। उक्त भूमि पर विपक्षी का मकान, मंदिर और कुआँ बना हुआ है तथा कुछ भाग पर वृक्ष लगाया गया है। प्रथमपक्ष परेशान करने के नियत से वाद लाया गया है। साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र, कुर्फानामा, बिजली बिल, मुखिया तथा प्रधान द्वारा दिया गया बयान, स्थल का फोटो की छायाप्रति समर्पित करते हुए उक्त आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक-542/रा० दिनांक-08.07.2021 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा-छोटा श्रीपुर, थाना नं०-45 के जमाबंदी नं०-16 कुल रकवा-07-13-00 धूर भूमि रैयत फकीर मिर्धा वल्द चीमडु मिर्धा कौम डोम शा० बाजार श्रीपुर कहकर विगत गेंजर सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं०-200, रकवा-02-16-17 धूर भूमि किस्म बाड़ी औवल पर्चा में अंकित है। आवेदकगण रैयत फकीर मिर्धा के वारिशान हैं। वर्तमान में जमाबंदी नं०-16, दाग नं०-200 के अन्दर रकवा-01-05-00 धूर वादगत जमीन पर विपक्षीगण का मकान, मंदिर एवं पक्का कुआँ बना हुआ है तथा बॉस मिट्टी से घेराबन्दी किया गया है। उल्लेखनीय है कि संथाल परगना में रैयती जमीन अहस्तान्तरणीय है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर प्रासंगिक भूमि आवेदक की रैयती भूमि रहने के कारण आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रासंगिक भू-भाग से संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। तदनुसार प्रासंगिक भूमि पर एक माह के अंदर आवेदक को दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

